पत्रांक–2ब०/जला०–01–20/2017 800 /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

के०डी० प्रौज्ज्वल,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक–04/03/19

विषयः– पूर्व से संचालित एवं वर्तमान में समाप्त JnNURM योजनान्तर्गत पटना जलापूर्ति योजना के 13 अर्द्धनिर्मित जलमीनार, संबंधित नेटवर्क एवं अन्य कार्यो से संबंधित अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु ₹12853.29700 लाख (एक अरब अठाइस करोड़ तिरपन लाख उनतीस हजार सात सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व से संचालित एवं वर्तमान में समाप्त JnNURM योजनान्तर्गत 18 OHSR अर्द्धनिर्मित थे, जिसमें से 05 OHSR तथा उससे संबंधित क्षेत्रों– शेखपुरा, एस०के० नगर, एस०के० पुरी, अंटाघाट एवं अदालतगंज में नेटवर्क एवं House Connection की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त कर विभागीय राज्यादेश सं०– 75, दिनांक– 23.10.2018 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 07.09.2018 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शेष अर्द्धनिर्मित 13 OHSR, संबंधित नेटवर्क एवं House Connection के लिए अलग–अलग DPR पटना नगर निगम द्वारा तैयार किया जाएगा तथा योजना का कर्यान्वियन भी पटना नगर निगम द्वारा कराया जाएगा।

2. उक्त के आलोक में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से संचालित JnNURM योजना के तहत् बनाये गये आधे–अधूरे 18 OHSR में से शेष 13 OHSR को पूर्ण करने, उसके नेटवर्क, पम्प हाउस, समरसेबुल पम्प, ट्रांसफर्मर, क्लोरिन डोसिंग यूनिट, हाउस कनेक्शन एवं अन्य संबंधित जलापूर्ति कार्यो के लिए नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के पत्रांक– 12556, दिनांक– 19.12.2018 के द्वारा कुल 13 अलग–अलग प्राक्कलन प्राप्त हुआ है, जिसका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता, बुडको द्वारा प्रदान किया गया है।

3. नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना के उक्त पत्र के साथ संलग्न प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, बुडको द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के आलोक में योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :–

क्र० सं०	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)
1	*2*	*3*
1	खाजेकला जलापूर्ति योजना	856.18700

2	पी.एम.सी. (पटना सिटी अंचल कार्यालय) जलापूर्ति योजना	1134.27500
3	मंगल तालाब जलापूर्ति योजना	944.25500
4	कटरा जलापूर्ति योजना	1029.89600
5	दीदारगंज जलापूर्ति योजना	1159.56600
6	मीठापुर जलापूर्ति योजना	599.23500
7	करबिगहिया जलापूर्ति योजना	920.80800
8	बहादुरपुर सेक्टर–7 जलापूर्ति योजना	987.27000
9	गर्दनीबाग जलापूर्ति योजना	982.87000
10	बहादुरपुर जलापूर्ति योजना	1444.10000
11	लोहिया उद्यान जलापूर्ति योजना	924.96700
12	सरिस्ताबाद जलापूर्ति योजना	1166.19800
13	बेउर जलापूर्ति योजना	703.67000

3. **मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना से संबंधित संकल्प सं०– 1287, दिनांक– 25.02.2016 की कंडिका– 05(i) के अनुरूप 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की कर्णांकित 30 प्रतिशत राशि, जो पटना नगर निगम के पास उपलब्ध है, में से उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा।**

4. योजनाओं का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–

(i) **योजनाओं का कार्यान्वयन पटना नगर निगम, पटना द्वारा कराया जाएगा।**

(ii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

(v) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BCT-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

(vi) उक्त योजना इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(vii) उक्त प्रत्येक वार्ड की योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

5. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. विभागीय संकल्प संख्या–1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

7. योजना का कार्यान्वयन समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

8. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

4/2/19

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–20/2017 800 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–04.2.19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/2/19

सरकार के उप सचिव।

आनंद